

**सामाजिक न्याय, अधिकारिता, अनुसूचित जातियां एवं पिछड़े
वर्ग कल्याण तथा अंत्योदय (एस.ई.डब्ल्यू.ए.) विभाग,
हरियाणा बेज संख्या 53-54, सैक्टर-2, पंचकूला
विज्ञापन**

| | |
|--|--------------------------|
| डॉ. अम्बेडकर मेधावी छात्र संशोधित योजना-2023-24 | अंतिम तिथि 31.01.2024 |
|--|--------------------------|

1. राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही डॉ. अम्बेडकर मेधावी छात्र संशोधित योजना के अंतर्गत प्रत्येक वर्ष छात्रवृत्ति हेतु हरियाणा राज्य के अनुसूचित जाति, पिछड़े वर्ग, विमुक्त जाति, घुमन्तु, अर्ध घुमन्तु/टपरीवास जातियों के साथ-2 सामान्य श्रेणी के छात्रों आधार कक्षा में प्राप्त अंकों की प्रतिशतता के आधार पर अगली कक्षा में दाखिला होने पर निम्न प्रकार से प्रोत्साहन राशि दी जाती है :-

| छात्रवृत्ति की आधार परीक्षा | आधार कक्षा में प्राप्त अंकों की प्रतिशतता | | कक्षा जिसमें छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगी | छात्रवृत्ति की दर |
|-----------------------------|---|---------|--|-------------------|
| | शहरी | ग्रामीण | | |

क) अनुसूचित जाति, विमुक्त, घुमन्तु, अर्ध-घुमन्तु, टपरीवास श्रेणी के छात्रों के लिए

| मैट्रिक | 70 | 60 | 11वीं तथा सभी डिप्लोमा/सर्टिफिकेट कोर्सिज का प्रथम वर्ष | 8000/- |
|-----------|----|----|---|------------------------------|
| 10+2 | 75 | 70 | ग्रेजुएशन का प्रथम वर्ष 1. आर्ट्स/कामर्स/साइंस तथा सभी डिप्लोमा सर्टिफिकेट कोर्सिज का प्रथम वर्ष 2. इंजीनियरिंग तथा अन्य तकनीकी व्यवसायिक कोर्सिज 3. मैडीकल तथा अलाइंड कोर्सिज | 8000/- 9000/- 10000/- |
| ग्रेजुएशन | 65 | 60 | पोस्ट ग्रेजुएशन का प्रथम वर्ष 1. आर्ट्स/कामर्स/साइंस 2. इंजीनियरिंग तथा अन्य तकनीकी व्यवसायिक कोर्सिज 3. मैडीकल तथा अलाइंड कोर्सिज | 9000/- 11000/- 12000/- |

ख) पिछड़े वर्ग ब्लॉक 'ए' के छात्रों के लिए

| मैट्रिक | 70 | 60 | 11वीं तथा सभी डिप्लोमा/सर्टिफिकेट कोर्सिज का प्रथम वर्ष | 8000/- |
|---------|----|----|---|--------|
|---------|----|----|---|--------|

ग) पिछड़े वर्ग ब्लॉक बी तथा अन्य वर्गों के लिए

| मैट्रिक | 80 | 75 | 11वीं तथा सभी डिप्लोमा/सर्टिफिकेट कोर्सिज का प्रथम वर्ष | 8000/- |
|---------|----|----|---|--------|
|---------|----|----|---|--------|

2. विद्यार्थी हरियाणा का मूल निवासी होना चाहिए।
3. वार्षिक पारिवारिक आय 4.00 लाख से अधिक न हो।
4. इस योजना के अंतर्गत वर्ष 2023-24 के लिए छात्रों से ऑनलाईन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं।
5. छात्र आवेदन पत्र के लिए <http://saralharyana.gov.in> पर आवेदन कर सकते हैं।
6. छात्र 01.07.2023 से 31.01.2024 तक आवेदन कर सकते हैं।
7. पात्रता मानदंड और योजना के अन्य विवरण विभाग की वेबसाइट www.haryanasbc.gov.in पर देखे जा सकते हैं।
8. किसी भी प्रकार की समस्या/जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर 0172-2566219, 2567009 एवं संबंधित जिले के जिला कल्याण अधिकारी से संपर्क करें।

महानिदेशक,

**सामाजिक न्याय, अधिकारिता, अनुसूचित जातियां एवं पिछड़े
वर्ग कल्याण तथा अंत्योदय विभाग, हरियाणा, पंचकूला।**